

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग)(आर-181)/अलेसे-1/3341-42

आदेश संख्या79/2014-15

दिनांक:-12-09-2014

श्री रमेश चन्द व्यास, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय निरीक्षण विभाग, भीलवाडा ने सूचित किया है कि श्री प्रहलाद राम मीणा वेतनमान 1640-2900 में वेतन स्थिरिकरण पश्चात् उनसे अधिक वेतन प्राप्त कर हैं, जिनका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विवरण	नाम वरिष्ठ कार्मिक (सर्वश्री)	नाम कनिष्ठ कार्मिक (सर्वश्री)
		रमेश चन्द व्यास 125/81	प्रहलाद राम मीणा 556/81
1	राज्य सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति	01.07.1982	30.09.1982
2	कार्यग्रहण करने पर वेतन एवं वेतन श्रृंखला	625/-(625-1120)	625/-(625-1120)
3	आगामी वेतन वृद्धि की तिथि एवं वेतन	01.07.1983 640/-	30.01.1984 (05.10.82 से 02.02.83) तक 121 दिवस का असाधारण अवकाश लिये जाने के कारण 640/-
4	दिनांक 01.09.86 को वेतन निर्धारण एवं वेतन श्रृंखला	1225/- (1140-2250)	1200/- (1140-2250)
5	आगामी वेतन वृद्धि की तिथि एवं वेतन	01.07.1987 1400/-	11.03.1987 (31.12.84 से 8.2.85) तक 40 दिवस का असाधारण अवकाश लिये जाने के कारण 1225/-
6	दिनांक 01.09.88 के नवीन वेतनमान में वेतन श्रृंखला/ पुनरीक्षित वेतनमान 89 में वेतन निर्धारण (आगामी वेतन वृद्धि की तिथि को)	1520/- (1400-2600)	1520/- (1400-2600)
7	आगामी वेतन वृद्धि की तिथि	01.07.1989	11.03.1989
8	प्रथम चयनित वेतनमान देयता की तिथि	25.01.1992	25.01.1992
9	प्रथम चयनित वेतनमान देय होने से पूर्व वेतन एवं वेतन श्रृंखला	1650/-(1400-2600)	1650/-(1400-2600)
10	प्रथम चयनित वेतनमान में निर्धारित वेतन एवं वेतन श्रृंखला	1760/-(1640-2900)	1760/-(1640-2900)
11	वेतन वृद्धि की तिथि	01.07.1992	11.03.1992
12	आगामी वेतन वृद्धि पर देय वेतन	1820/-	1820/-

उक्त तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट होता है, कि श्री प्रहलाद राम मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, श्री रमेश चन्द व्यास, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार से दिनांक 11.03.1992 से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अतः वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.(1)वित्त/युप-2/91-11 दिनांक 02.04.94 के अनुसरण से राजस्थान सेवा नियम 32 के अन्तर्गत श्री रमेश चन्द व्यास, सहायक लेखाधिकारी का वेतन दिनांक 11.03.1992 से 1760/-रु० के स्थान पर 1820/-रु० श्री प्रहलाद राम मीणा के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। श्री रमेश चन्द व्यास की वार्षिक वेतनवृद्धि तिथि राजस्थान सेवा नियम के नियम 31 के तहत एक वर्ष पश्चात् दिनांक 11.03.1993 निर्धारित की जाती है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

दिनांक:-12-09-2014

क्रमांक:-एफ.2 (ग)(आर-181)/अलेसे-1/3341-42

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उपनिदेशक प्रशासन, निरीक्षण विभाग, राज. जयपुर को मय सेवापुस्तिका श्री रमेश चन्द व्यास, सहायक लेखाधिकारी।
2. श्री रमेश चन्द व्यास, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय निरीक्षण विभाग, भीलवाडा।
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. एसीपी (मुख्यालय) विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)